



संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं.12/2020-सीपीएफ

दिनांक : 18.08.2020

(आवेदन भरने की अंतिम तारीख : 07.09.2020)

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा 2020

(आयोग की वेबसाइट – www.upsc.gov.in)

महत्वपूर्ण

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है। उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन किया जाता है।

2. आवेदन कैसे करें :

उम्मीदवार www.upsconline.nic.in वेबसाइट का प्रयोग करके ऑनलाइन ही आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं। अनुदेश संक्षेप में परिशिष्ट-II में दिए गए हैं।

2.1 उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उपलब्ध कराना होगा। उम्मीदवारों को फोटो आईडी की एक स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होगी जिसका विवरण उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रदान किया गया है। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भ के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा/ व्यक्तित्व परीक्षण/ एसएसबी के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

2.2 जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं आयोग ने उनके लिए आवेदन वापस लेने की सुविधा का प्रावधान किया है। इस संबंध में अनुदेश परीक्षा नोटिस के परिशिष्ट II (ख) में प्रदान किए गए हैं।

3. आवेदन भरने की अंतिम तारीख :

(i) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 07 सितम्बर, 2020 18.00 बजे तक भरे जा सकते हैं।

(ii) ऑनलाइन आवेदन दिनांक 14.09.2020 से 20.09.2020 को सायं 6.00 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। आवेदन वापस लेने संबंधी विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट-II (ख) में प्रदान किए गए हैं।

4. परीक्षा आरंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व पात्र उम्मीदवारों को ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। डाक द्वारा कोई प्रवेश प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय सभी आवेदकों को वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करना अपेक्षित है क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।

5. गलत उत्तरों के लिए दंड :

अभ्यर्थी नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

6. ओ.एम.आर. पत्रक को भरने के लिए अनुदेश :

(क) ओएमआर पत्रक (उत्तर पत्रक) में लिखने और चिह्नित करने हेतु उम्मीदवार केवल काले रंग के बॉल प्वाइंट पेन का इस्तेमाल करें। किसी अन्य रंग के पेन का इस्तेमाल वर्जित है। पेंसिल अथवा स्याही वाले पेन का इस्तेमाल न करें। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे नोटिस के परिशिष्ट-III में निहित 'विशेष अनुदेशों' को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

(ख) उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार की चूक/तुटि/विसंगति, विशेषकर अनुक्रमांक तथा परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड के संदर्भ में, होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा।

7. विशेष अनुदेश :

उम्मीदवारों को परम्परागत प्रश्न पत्रों के संबंध में "उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश" (परिशिष्ट-IV) को सावधानीपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।

8. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउन्टर :

उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए कार्य दिवसों में 10.00 बजे और 5.00 बजे के मध्य तक आयोग परिसर के गेट 'सी' के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।

9. मोबाइल फोन प्रतिबंधित:

(क) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू सख्त मना है।

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन अथवा कीमती/मूल्यवान वस्तुओं सहित उक्त प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में हुए किसी प्रकार के नुकसान के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

संख्या-11/1/2020-परीक्षा-1(ख) – संघ लोक सेवा आयोग दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अर्थात सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.) तथा सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) में सहायक कमांडेंट (ग्रुप क) की भर्ती हेतु एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक **18 अगस्त, 2020** के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित परीक्षा के लिए नियमावली के अनुसार आयोजित की जाएगी। उपर्युक्त परीक्षा के आयोजन की तारीख आयोग के विवेकाधिकार पर परिवर्तित की जा सकती है।

रिक्तियों की संख्या : परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की अस्थायी संख्या निम्नलिखित है :

(i)	बीएसएफ	78
(ii)	सीआरपीएफ	13
(iii)	सीआईएसएफ	69
(iv)	आई.टी.बी.पी.	27
(v)	एसएसबी	22

209

उपर्युक्त रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

सरकार की नीति के अनुसार आरक्षण को लागू किया जाएगा। 10% रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिन्हित हैं।

टिप्पणी – यदि पात्र अथवा अर्हक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति (रिक्तियां) भरी नहीं जाती है, तो इन्हें गैर-भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

2. परीक्षा केन्द्र : परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला	हैदराबाद	प्रयागराज (इलाहाबाद)
अहमदाबाद	इंफाल	पटना
ऐज़ल	ईटानगर	पोर्ट ब्लेयर
बंगलौर	जयपुर	रायपुर
बरेली	जम्मू	रांची
भोपाल	जोरहाट	संबलपुर
चंडीगढ़	कोच्चि	शिलांग
चेन्नई	कोहिमा	शिमला
कटक	कोलकाता	श्रीनगर
देहरादून	लखनऊ	तिरुवनंतपुरम
दिल्ली	मदुरै	तिरुपति
धारवाड़	मुंबई	उदयपुर
दिसपुर	नागपुर	विशाखापटनम
गंगटोक	पणजी (गोवा)	

आयोग यदि चाहे तो, परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा परीक्षा की तिथि में परिवर्तन कर सकता है। आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आवंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों का आवंटन "पहले आवेदन करो पहले आवंटन पाओ" पर आधारित होगा तथा यदि किसी विशेष केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी आवेदक को कोई केन्द्र आवंटित नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को निर्धारित अधिकतम सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है तब उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा। अतएव आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले।

ध्यान दें: उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद स्थिति के अनुसार आयोग के पास अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन उम्मीदवारों को उक्त में प्रवेश दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि केंद्र में परिवर्तन करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ उसकी जाति को केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा। उम्मीदवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण का लाभ लेने के लिए तभी पात्र माना जाएगा जब वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों का पालन करता हो तथा उसके पास इस प्रकार की पात्रता का प्रमाण पत्र हो। यदि कोई उम्मीदवार **केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2020** के अपने प्रपत्र में यह उल्लेख करता है, कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन कालांतर में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची की श्रेणी में तब्दील करने के लिए आयोग को लिखता है तो आयोग द्वारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार द्वारा एक बार आरक्षण श्रेणी चुन लिए जाने पर अन्य आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध अर्थात् अ.जा. को अ.ज.जा., अ.ज.जा. को अ.जा..

अ.पि.व. को अ.जा./अ.ज.जा. या अ.जा./अ.ज.जा. को अ.पि.व., अनुसूचित जाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा कर दिए जाने के उपरांत सामान्य मेरिट के आधार पर अनुशंसित उम्मीदवारों से भिन्न आरक्षित श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को उसकी आरक्षित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन करने अथवा अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों (सेवा संवर्ग) के लिए दावा करने की अनुमति नहीं होगी।

जबकि उपर्युक्त सिद्धांत का सामान्य रूप से पालन किया जाएगा, फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें किसी समुदाय विशेष को आरक्षित समुदायों की किसी भी सूची में शामिल करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने और उम्मीदवार द्वारा आवेदन करने की तारीख के समय के बीच 3 महीने से अधिक अंतर न हो। ऐसे मामलों में, समुदाय को सामान्य से आरक्षित समुदाय में परिवर्तित करने संबंधी अनुरोध पर आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।

“अजा/अजजा/ईडबल्यूएस/अपिव के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे नियमावली/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/रियायत के हकदार हैं। उपर्युक्त लाभों/नोटिस से संबद्ध नियमावली में दिए गए अनुबंध के अनुसार उम्मीदवारों के पास अपने दावे के समर्थन में विहित प्रारूप में आवश्यक सभी प्रमाण पत्र मौजूद होने चाहिए तथा इन प्रमाण पत्रों पर आवेदन जमा करने की निर्धारित तारीख (अंतिम तारीख) से पहले की तारीख अंकित होनी चाहिए।” केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में (सहायक कमांडेंट्स) परीक्षा, 2020 के लिए आवेदन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए आय और संपदा प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए।

बरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार आयोग उम्मीदवारों के प्राप्तंक (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त अंक) सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषित करेगा। अंकों की यह घोषणा केवल उन उम्मीदवारों के मामले में की जाएगी, जो भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा हेतु साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होंगे, परंतु जिन्हें नियुक्ति हेतु अंतिम रूप से अनुशंसित नहीं किया जाएगा। इस प्रकटन योजना के माध्यम से गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के बारे में साझा की गई जानकारी का इस्तेमाल, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा, सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई उक्त सूचना के आधार पर, उपयुक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए किया जा सकेगा।

उम्मीदवारों को, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के समय इस संबंध में अपना विकल्प प्रदान करना होगा। यह विकल्प उन्हें साक्षात्कार हेतु मेल किए गए ई-समन पत्र की पावती भेजते समय प्रदान करना होगा। उम्मीदवार, उक्त योजना में शामिल नहीं होने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसा करने पर आयोग द्वारा उनके अंकों संबंधी विवरण का प्रकटन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाएगा।

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के बारे में जानकारी साझा करने के अतिरिक्त, इस विषय में आयोग की कोई जिम्मेदारी अथवा दायित्व नहीं होगा कि आयोग की परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं में शामिल उम्मीदवारों से संबंधित जानकारियों का इस्तेमाल, अन्य निजी अथवा सार्वजनिक संगठनों द्वारा किस विधि से तथा किस रूप में किया जाता है।

3. पात्रता की शर्तें :

(I) **राष्ट्रीयता** : इन नियमों के अंतर्गत भारत के नागरिक के अलावा किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा या रोजगार में नहीं लिया जाएगा, केवल उस व्यक्ति को छोड़कर जिसे केन्द्रीय सरकार ने लिखित रूप से सहमति प्रदान की हो।

बशर्ते कि इन नियमों के अंतर्गत नेपाल या भूटान की प्रजा को नियुक्ति, नामांकन या रोजगार से विवर्जित नहीं किया जाएगा।

(II) **लिंग** : सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्ति के लिए महिला एवं पुरुष दोनों उम्मीदवार पात्र हैं।

(III) **आयु - सीमाएं** :

(क) उम्मीदवार **01 अगस्त, 2020** को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा **25 वर्ष** की आयु प्राप्त न की हो अर्थात् उम्मीदवार का जन्म **02 अगस्त, 1995** से पहले न हुआ हो तथा **01 अगस्त, 2000** के बाद न हुआ हो।

(ख) उपर्युक्त निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट होगी।

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो तो अधिकतम 5 वर्ष।

(ii) अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित ऐसे उम्मीदवार जो उन पर लागू आरक्षण को प्राप्त करने के पात्र हैं, को अधिकतम 3 वर्ष।

(iii) केन्द्रीय सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार असैनिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए पांच वर्ष। भूतपूर्व सैनिक भी इस छूट को प्राप्त करने के पात्र होंगे। तथापि, सरकारी सेवा के मामले में दावा की गई कुल छूट की सीमा पांच वर्ष होगी।

टिप्पणी-I : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 3(III)(ख) के अंतर्गत किसी भी अन्य खंड में आते हैं अर्थात् वे जो असैनिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी-II : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुनः नियोजन) नियमावली, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है।

टिप्पणी-III : ऊपर पैरा 3(ख)(iii) में “असैनिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी” शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के अधीन “सरकारी कर्मचारी” के रूप में परिभाषित किया गया है।

टिप्पणी-IV : उपर्युक्त पैरा 3(III)(ख)(iii) के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को आयु संबंधी छूट स्वीकार्य होगी अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की सेना, नौसेना अथवा वायु सेना में कंबटेंट अथवा नॉन-कंबटेंट के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो या जो ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो या

अवमुक्त हुआ हो या सेवा मुक्त हुआ हो; चाहे ऐसा वह अपने अनुरोध पर हुआ हो या पेंशन हेतु अर्हक सेवा पूरी करने के बाद नियोक्ता द्वारा अवमुक्त किया गया हो। "असैनिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी" शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के अधीन "सरकारी कर्मचारी" के रूप में परिभाषित किया गया है।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-V : आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो, और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक या उसकी समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज हो। आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथ पत्र, नगर निगम, सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुदेशों के इस भाग में आए हुए "मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" में उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-VI : उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार आवेदन पत्र में प्रस्तुत कर देने के और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें या आयोग की अन्य किसी परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-VII : उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि उनके मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(IV) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं : उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित विश्वविद्यालय की बैचलर डिग्री या कोई अन्य समकक्ष योग्यता हो।

टिप्पणी-I : यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार वर्ष 2020 में अर्हक परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे भी इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र हो सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार यदि अन्यथा पात्र होंगे तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अंतिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उक्त प्रमाण, परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने तथा शारीरिक मानदंड/शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सा मानदंड परीक्षण में भी अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन प्रपत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, साथ प्रस्तुत करना होगा। अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का ऐसा प्रमाण केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2020 के विस्तृत आवेदन फार्म भरे जाने की नियत तारीख (अंतिम तारीख) से पहले की तारीख का होना चाहिए।

टिप्पणी- II : आपवादिक मामलों में, आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को शैक्षणिक दृष्टि से अर्हक मान सकता है जिसके पास इस नियम में निर्धारित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो, बशर्ते कि उसने अन्य संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा पास की हो, जिसके स्तर को आयोग स्वीकार करता हो, उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

टिप्पणी- III : जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक तथा तकनीकी डिग्री के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक एवं तकनीकी योग्यता है, वे भी परीक्षा में बैठने के पात्र हैं।

(V) पहले से अंतिम रूप में चयनित/अनुशंसित उम्मीदवारों के पुनः परीक्षा में बैठने पर प्रतिबंध: केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा में भाग लेने वाले किसी भी बल में सहायक कमांडेंट के पद के लिए किसी पूर्व परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भागीदारी में सहायक कमांडेंट की भर्ती हेतु उत्तरवर्ती परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।

(VI) शारीरिक मानदंड:

नोटिस के परिशिष्ट-V में निर्दिष्ट केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2020 में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक तथा चिकित्सा मानदंडों को पूरा करना होगा।

(VII) एन सी सी "बी" या "सी" प्रमाण-पत्र का होना:

एन सी सी "बी" या "सी" प्रमाण-पत्र का होना एक वांछनीय योग्यता है। इन योग्यताओं को केवल साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के समय महत्व दिया जाएगा।

4. शुल्क

उम्मीदवारों को रु.200/- (केवल दो सौ रुपए) फीस के रूप में (सभी महिला/अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर/रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

जो उम्मीदवार भुगतान के लिए नकद भुगतान प्रणाली का चयन करते हैं वे सिस्टम द्वारा सृजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें

और अगले कार्य दिवस को ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। “नकद भुगतान प्रणाली” का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले, अर्थात् दिनांक **06.09.2020** को रात्रि 23.59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा। तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन स्लिप का सृजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जो वैध पे-इन स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात् **07.09.2020** को 18.00 बजे तक ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है न ही स्वीकार्य है। निर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त आवेदन को छोड़कर) एकदम अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

टिप्पणी-2 : एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

टिप्पणी-3 : जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें अवास्तविक भुगतान मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से 10 दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। दस्तावेज के रूप में प्रमाण प्राप्त होने पर, शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों। सभी महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा। तथापि, अन्य पिछड़ी श्रेणियों/ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा।

5. आवेदन कैसे करें :

(क) उम्मीदवारों को www.upsconline.nic.in लिंक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(ख) आवेदकों को केवल एक ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है। तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थितिबश यदि वह एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता/करती है, वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह अर्थात् आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार यह नोट कर लें कि केवल उच्च आरआईडी (रजिस्ट्रेशन आईडी) वाले आवेदन-पत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।

(ग) सभी उम्मीदवारों चाहे वे पहले से ही सरकारी सेवा, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम या अन्य समान बल या निजी रोजगार में हों, को अपने-अपने आवेदन-प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से या (अनियमित या दैनिक दर कर्मचारी के अलावा) कार्य प्रभावरित कर्मचारी की भांति कार्य कर रहे हैं या जो लोक उद्यमों में सेवारत हैं उनको लिखित रूप से अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को सूचित करना है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई सूचना मिलती है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।

टिप्पणी-I : उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित ई-प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी-II : अधूरे या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में ऐसी अस्वीकृति के संबंध में किसी अभ्यावेदन पर या पत्र व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी-III : उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्रों के प्रिंट की प्रति अभी भेजने की आवश्यकता नहीं है।

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा, शारीरिक एवं चिकित्सा मानदंड परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी.ई.टी.) तथा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा, जो उनके निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगा। यदि लिखित परीक्षा, शारीरिक तथा चिकित्सा मानदंड परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी.ई.टी.) एवं साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2020 की नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाही की जा सकती है जो निम्नलिखित है :-

जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है :

- (i) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है अर्थात् :
- (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या
- (ख) दबाव डालना, या
- (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना, अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा
- (ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा
- (iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा
- (iv) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा
- (v) आवेदन फार्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना, अथवा
- (vi) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा
- (vii) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है. अर्थात्:
- (क) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना,
- (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना
- (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या
- (viii) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना, या
- (ix) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना, या अथवा असंगत सामग्री अथवा
- (x) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिसमें उत्तर-पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा
- (xi) परीक्षा संचालित करने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
- (xii) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा
- (xiii) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गये प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा
- (xiv) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी/किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रॉसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे-
- (क) इस नियम के तहत आयोग द्वारा किसी उम्मीदवार को उस परीक्षा के लिये अयोग्य ठहराया जाएगा है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा
- (ख) उसे स्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा
- (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए
- (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा ।
- (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।
- किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :
- (i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और
- (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो ।
- कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उप नियम/खंड (i) से (xiii) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उप नियम/खंड (xiv) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

6. आवेदन करने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **07 सितम्बर, 2020 तक 18.00 बजे** तक भरे जा सकते हैं, जिसके बाद लिंक अक्षम हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत निर्देश परिशिष्ट-II (क) पर उपलब्ध है।

(ii) ऑनलाइन आवेदन **14.09.2020 से 20.09.2020 तक शाम 6 बजे तक** निकाले जा सकते हैं जिसके बाद लिंक अक्षम हो जाएगा। आवेदन वापस लेने से संबंधित विस्तृत निर्देश परिशिष्ट- II(ख) पर उपलब्ध है।

7. आयोग के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी के बारे में पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

(i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट (www.upsc.gov.in) पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकेंगे। डाक द्वारा कागज़ी प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र/ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पास उसके महत्वपूर्ण विवरण अर्थात् आर.आई.डी. तथा जन्म तिथि अथवा अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो) तथा जन्म तिथि अथवा नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि उपलब्ध होने चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से तीन सप्ताह पूर्व ई-प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या : 011-23385271/ 011-23381125/ 011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी उम्मीदवार से ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में ई-प्रवेश प्रमाण-पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर उसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर संघ लोक सेवा आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम रहेगा। यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्वधीन होगा।

केवल इस तथ्य का कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए ई-प्रवेश प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या कि उम्मीदवार द्वारा अपने परीक्षा के आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। उम्मीदवार नोट कर लें कि आयोग उम्मीदवार के केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (लिखित) परीक्षा के अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उसकी पात्रता की शर्तों का मूल प्रलेखों से सत्यापन का मामला उठाता है। आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिए जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी।

उक्त परीक्षा हेतु उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने तथा वह परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं, इस बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(ii) सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करें क्योंकि आयोग परीक्षा के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।

(iii) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि, आवश्यक होने पर उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में वह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

(iv) उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि उन्हें किसी दूसरे उम्मीदवार को जारी किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

महत्वपूर्ण :

आयोग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
2. रजिस्ट्रेशन आईडी (आर.आई.डी.)
3. अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हो चुका हो)।
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा स्पष्ट अक्षरों में)।
5. आवेदन प्रपत्र में दिया गया डाक का पूरा पता।
6. वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी।

कृपया ध्यान दें : जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान न दिया जाए। उम्मीदवार को भविष्य के संदर्भों के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट या सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखने का परामर्श दिया जाता है।

8. आवेदन प्रपत्रों की वापसी :

आवेदन वापस लेने संबंधी विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट-II (ख) में प्रदान किए गए हैं।

9. सेवा आबंटन:

शारीरिक मानदंड/शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सा मानदंड परीक्षण से पूर्व उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र को भरते समय निर्दिष्ट की गई सेवा वरीयता तथा योग्यता सूची में स्थिति के आधार पर सेवा का आबंटन किया जाएगा। सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्ति के लिए महिला एवं पुरुष दोनों उम्मीदवार पात्र हैं।

10. अन्य जानकारी :

उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए नीचे निर्दिष्ट किए गए परिशिष्टों का संदर्भ लें :

(क)	चयन प्रक्रिया तथा परीक्षा का पाठ्य विवरण	परिशिष्ट - I
(ख)	आवेदन प्रपत्र को भरने के लिए उम्मीदवारों को निर्देश	परिशिष्ट - II
(ग)	वस्तुपरक प्रकार के परीक्षणों के लिए विशेष अनुदेश	परिशिष्ट - III
(घ)	परंपरागत प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए विशेष अनुदेश	परिशिष्ट - IV
(ड.)	शारीरिक एवं चिकित्सा मानदंड	परिशिष्ट - V

(ओम प्रकाश)

अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट - I

चयन प्रक्रिया/परीक्षा की योजना तथा पाठ्यविवरण

(क) चयन प्रक्रिया/योजना

चयन प्रक्रिया/परीक्षा की योजना निम्नलिखित होगी :

(i) लिखित परीक्षा : संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा 20 दिसम्बर, 2020 को होगी तथा इसमें दो प्रश्न पत्र शामिल होंगे। प्रश्न-पत्र-I प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा तथा प्रश्न-पत्र-II सायं 2 बजे से सायं 5 बजे तक होगा।

प्रश्न-पत्र-I : सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमता - 250 अंक

इस प्रश्न-पत्र में प्रश्न वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प प्रकार के उत्तर) प्रकार के होंगे जिसमें प्रश्न-पत्र हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी होंगे।

प्रश्न-पत्र-II : सामान्य अध्ययन, निबंध एवं अपठित गद्यांश (कॉम्प्रीहेन्शन) - 200 अंक

इस प्रश्न-पत्र में उम्मीदवारों को निबंध अंग्रेजी या हिन्दी में लिखने के विकल्प की अनुमति होगी किन्तु संक्षेपण लेखन, अपठित गद्यांश (कॉम्प्रीहेन्शन) एवं अन्य संचार/भाषा कौशल केवल अंग्रेजी में ही लिखने की अनुमति होगी।

टिप्पणी I: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रश्न-पत्र-II के उत्तर विभिन्न संघटकों के लिए, जैसा कि ऊपर वर्णन किया है, आयोग द्वारा अनुमत माध्यम में ही लिखें। प्रश्न पत्र में अनुमत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर लिखने के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को निबंध लिखने का माध्यम उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट करना होगा। निबंध के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा यदि उम्मीदवार उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में उस माध्यम से भिन्न माध्यम दर्शाता है जिसमें उसने निबंध लिखा है।

टिप्पणी II: प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक होंगे जो आयोग द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निश्चित किए जाएंगे। प्रश्न पत्र-I का मूल्यांकन पहले किया जाएगा तथा प्रश्न-पत्र-II का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों का किया जाएगा जो प्रश्न पत्र-I में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं।

(ii) शारीरिक मानदंड/शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सा मानदंड परीक्षण : जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अर्हक घोषित किए जाते हैं, उन्हें शारीरिक मानदंड/शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सा मानदंड परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। वे उम्मीदवार जो इस नोटिस के परिशिष्ट-V में विनिर्धारित शारीरिक मानदंडों को पूरा करते हैं उनका शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) किया जाएगा जिसे नीचे दर्शाया गया है :

शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी)

		पुरुष	महिला
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	100 मीटर दौड़	16 सेकेंड में	18 सेकेंड में
(ख)	800 मीटर दौड़	3 मिनट 45 सेकेंड में	4 मिनट 45 सेकेंड में
(ग)	लम्बी कूद	3.5 मीटर (3 अवसर)	3 मीटर (3 अवसर)
(घ)	गोला फेंकना (शॉट पुट) (7.26 किलो)	4.5 मीटर	-----

शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) के समय गर्भावस्था अयोग्यता होगी तथा गर्भवती महिला उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हक घोषित किए जाते हैं केवल उन उम्मीदवारों का ही चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि वे इस नोटिस के परिशिष्ट-V में निर्धारित चिकित्सा मानदंडों को पूरा करते हैं।

शारीरिक मानदंड/शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सा मानदंड परीक्षण का संचालन गृह मंत्रालय द्वारा नामित नोडल प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में होगा। ये परीक्षण विभिन्न केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे जिन्हें लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद अधिसूचित किया जाएगा।

केवल चिकित्सा मानदंड परीक्षणों के विरुद्ध अपील स्वीकार की जाएगी जो इन परीक्षणों के परिणाम घोषित होने के 15 दिन की अवधि के अंदर गृह मंत्रालय द्वारा नामोद्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी को की जानी चाहिए।

(iii) **साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण :** जिन उम्मीदवारों को चिकित्सा मानदंड परीक्षणों में अर्हक घोषित किया जाता है उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। वे उम्मीदवार जो चिकित्सीय आधार पर अयोग्य घोषित किए जाते हैं किन्तु उन्हें उनकी अपील के आधार पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा "समीक्षा चिकित्सा बोर्ड" के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है उन्हें साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अंतिम रूप से बुलाया जाएगा। साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण 150 अंकों का होगा।

साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बनाई गई उम्मीदवारों की लघु सूची सहित अंतिम रूप से साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बनाई गई लघु सूची हेतु उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन प्रपत्र जारी किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ सेवा की वरीयताएं निर्दिष्ट करने को कहा जाएगा।

(iv) **अंतिम चयन/योग्यता :** योग्यता सूची उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर बनाई जाएगी।

(ख) **लिखित प्रश्न-पत्रों के पाठ्य विवरण :**

प्रश्न-पत्र-I : सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमता :

इस प्रश्न-पत्र में बहुविकल्प प्रश्नों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जो व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित होंगे :

1. सामान्य मानसिक योग्यता :

ये प्रश्न तार्किक विवेचना, गणितीय अभिरुचि सहित संख्यात्मक योग्यता एवं आंकड़ों के निर्वचन के परीक्षण हेतु तैयार किए जाएंगे।

2. सामान्य विज्ञान :

ये प्रश्न सामान्य जागरूकता, वैज्ञानिक प्रकृति, नए क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी जैव-प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरणीय विज्ञान आदि जैसे नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित वैज्ञानिक घटनाओं के दैनिक प्रेक्षण की समझ (परिज्ञान) एवं मूल्यांकन के परीक्षण हेतु तैयार किए जाएंगे।

3. राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की सम-सामयिक घटनाएं :

इन प्रश्नों से संस्कृति, संगीत, कला, साहित्य, खेल, शासन, सामाजिक तथा विकासत्मक मुद्दों, उद्योग, व्यवसाय, भूमंडलीकरण तथा राष्ट्रों के बीच पारस्परिक प्रभाव जैसे व्यापक क्षेत्रों में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की सम-सामयिक घटनाओं से संबंधित उम्मीदवारों की जागरूकता का परीक्षण किया जाएगा।

4. भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था :

इन प्रश्नों से उम्मीदवारों से देश की राजनीतिक व्यवस्था तथा भारत के संविधान, सामाजिक व्यवस्था और लोक प्रशासन, भारत में आर्थिक विकास, क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों एवं मानवाधिकार सहित इसके सूचकों के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा।

5. भारत का इतिहास :

ये प्रश्न व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं के विषयों से संबंधित होंगे। इनमें राष्ट्रवाद की प्रगति तथा स्वतंत्रता आन्दोलन के क्षेत्र भी शामिल होंगे।

6. भारत एवं विश्व का भूगोल:

ये प्रश्न भारत तथा विश्व से संबंधित भूगोल के भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं से संबंधित होंगे।

प्रश्न पत्र-II : सामान्य अध्ययन, निबंध एवं अपठित गद्यांश – 200 अंक

भाग क – निबंध प्रकार के प्रश्न, जिनके उत्तर लंबे वर्णनात्मक रूप में हिन्दी या अंग्रेजी में दिए जाने हैं, कुल 80 अंकों के होंगे। निर्देशात्मक विषय हैं - आधुनिक भारतीय इतिहास विशेषतया स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था सुरक्षा तथा मानवाधिकार मुद्दों की जानकारी तथा विश्लेषणात्मक योग्यता।

भाग ख - अपठित गद्यांश, सारांश लेखन, अन्य संचार/भाषा कौशल - जिनके उत्तर केवल अंग्रेजी में दिए जाने हैं (अंक-120) – विषय हैं – अपठित गद्यांश, सारांश लेखन, प्रति-तर्क विकास, सामान्य व्याकरण तथा भाषा परीक्षण के अन्य पक्ष।

परिशिष्ट-II(क)

ऑनलाइन आवेदन के लिए अनुदेश

उम्मीदवार को वेबसाइट www.upsconline.nic.in का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- ❖ ऑनलाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- ❖ उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेन्यू के माध्यम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा।
- ❖ उम्मीदवारों को 200/- रु. (केवल दो सौ रुपए) के शुल्क (अजा/अजजा/महिला उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है), या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर/रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है।

- ❖ ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ करने से पहले उम्मीदवार के पास विधिवत स्कैन की गई फोटो और हस्ताक्षर .जेपीजी (.JPG) प्रारूप में इस प्रकार होने चाहिए ताकि प्रत्येक फ़ाइल 300 के.बी. से अधिक न हो और यह फोटो और हस्ताक्षर के मामले में 20 के.बी. से कम न हो।
- ❖ इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उपलब्ध कराना होगा। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भ के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा/व्यक्तित्व परीक्षण/एसएसबी के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।
- ❖ ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को दिनांक, **18 अगस्त, 2020 से 07 सितम्बर, 2020 सांय 6:00 बजे तक** भरा जा सकता है।
- ❖ आवेदकों को एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भेजने चाहिए, तथापि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश कोई आवेदक एक से अधिक आवेदन पत्र भेजता है तो वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी वाला आवेदन पत्र हर तरह से पूर्ण है।
- ❖ एक से अधिक आवेदन पत्रों के मामले में, आयोग द्वारा उच्च आरआईडी वाले आवेदन पत्र पर ही विचार किया जाएगा और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।
- ❖ आवेदक अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय यह सुनिश्चित करें कि वे अपना वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।
- ❖ आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-मेल लगातार देखते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि @nic.in से समाप्त होने वाले ई-मेल पते उनके इनबॉक्स फोल्डर की ओर निर्देशित हैं तथा उनके एसपीएएम (SPAM) फोल्डर या अन्य किसी फोल्डर की ओर नहीं।
- ❖ उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।
- ❖ इसके अतिरिक्त, आयोग ने आवेदन वापस लेने का प्रावधान किया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक नहीं हैं वे अपना आवेदन वापस ले सकते हैं।

परिशिष्ट- II (ख)

आवेदन वापस लेने संबंधी महत्वपूर्ण अनुदेश

1. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन वापस लेने संबंधी अनुरोध पत्र भरने से पहले अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
2. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होने के इच्छुक नहीं हैं उनके लिए आयोग ने दिनांक **14.09.2020 से 20.09.2020 (सांय 6.00 बजे तक)** आवेदन वापस लेने की सुविधा का प्रावधान किया है।
3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पूर्ण और अंतिम रूप से सन्मिट किए गए आवेदन का पंजीकरण आईडी और विवरण प्रदान करें। अपूर्ण आवेदनों को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।
4. आवेदन वापसी का अनुरोध प्रस्तुत करने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि उनके पास वह पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी उपलब्ध है, जो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय प्रदान किया था। अनुरोध तभी स्वीकार किया जाएगा जब उम्मीदवार के मोबाइल और ई-मेल पर भेजे गए ओटीपी को वैलीडेट किया जाएगा। यह ओटीपी 30 मिनट के लिए मान्य होगा।
5. आवेदन वापसी के संबंध में ओटीपी जनरेट करने का अनुरोध दिनांक **20.09.2020** को सांय **5.30 बजे तक** ही स्वीकार किया जाएगा।
6. यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक आवेदन पत्र जमा किए हैं तब आवेदन (सबसे बाद वाले) के उच्चतर पंजीकरण आईडी पर ही वापसी संबंधी विचार किया जाएगा और पहले के सभी आवेदनों को स्वतः ही खारिज मान लिया जाएगा।
7. आवेदन वापसी के ऑनलाइन अनुरोध को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाने के बाद आवेदक अधिप्रमाणित रसीद प्रिंट करेगा। उम्मीदवार द्वारा आवेदन वापस लिए जाने के बाद भविष्य में इसे पुनः सक्रिय नहीं किया जा सकेगा।
8. संघ लोक सेवा आयोग में उम्मीदवार द्वारा अदा किए गए परीक्षा शुल्क को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः, उम्मीदवार द्वारा सफलतापूर्वक आवेदन वापस लिए जाने के बाद ऐसे मामलों में शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।
9. वापसी संबंधी आवेदन के पूरा होने के बाद उम्मीदवार के पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल पर ऑटो-जनरेटेड ई-मेल और एसएमएस भेजा जाएगा। यदि उम्मीदवार ने आवेदन वापसी संबंधी आवेदन जमा नहीं किया है तब वह ई-मेल आईडी : upscsoap@nic.in के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क कर सकता है।
10. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से प्राप्त ओटीपी किसी से साझा न करें।

परिशिष्ट-III

वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हॉल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो), उत्तर पत्रक पर प्रत्युत्तर को अंकित करने के लिए एक अच्छी किस्म का काला बॉल पेन। उत्तर पत्रक निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे।

2. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रॉनिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरण, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, आदि परीक्षा हॉल में न लाएं।

मोबाइल फोन एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, लाना मना है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है। उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन सहित कोई भी वजित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी बहुमूल्य वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3. गलत उत्तरों के लिए दंड

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

- प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का $\frac{1}{3}$ (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।
- यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा।
- यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।

4. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

5. परीक्षा भवन में आचरण

कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलाए तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।

6. उत्तर पत्रक विवरण

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में), विषय कोड और अनुक्रमांक काले बॉल प्वाइंट पेन से लिखें। उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए.बी.सी.डी., यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक काले बॉल पेन से कूटबद्ध करें। उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध में दिए गए हैं। यदि परीक्षण पुस्तिका पर श्रृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक बिना संख्या के हों तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें।

(ii) उम्मीदवार नोट करें कि ओएमआर उत्तर पत्रक में विवरण कूटबद्ध करने/भरने में किसी प्रकार की चूक/त्रुटि/विसंगति, विशेषकर अनुक्रमांक के संदर्भ में, होने पर उत्तर पत्रक अस्वीकृत किया जाएगा।

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए।

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें।

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या न विकृत करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं। उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें।

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा, अतः उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रख-रखाव तथा उन्हें भरने में अति सावधानी बरतनी चाहिए। **उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल काले बॉल पेन का उपयोग करना चाहिए। बॉक्सों में लिखने के लिए भी उन्हें काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा, अतः उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए।**

10. उत्तर अंकित करने का तरीका

“वस्तुपरक” परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है।

प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1,2,3.... आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी) और (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे। आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है। यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा।

उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 छापे गए हैं, प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत्त छपे होते हैं। जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है, **आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को काले बाल पेन से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है।**

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार काले बाल पेन से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसाकि नीचे दिखाया गया है।

उदाहरण (a) • (c) (d)

11. उम्मीदवार उत्तरों को अपने ही हाथ से लिखें। उन्हें किसी भी हालत में उत्तर लिखने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. **स्कैनेबल उपस्थिति सूची में एंट्री कैसे करें :**

उम्मीदवारों को स्कैनेबल उपस्थिति सूची में, जैसा नीचे दिया गया है, अपने कॉलम के सामने **केवल काले बॉल पेन** से संगत विवरण भरना है।

- उपस्थिति/अनुपस्थिति कॉलम में, [P] वाले गोले को काला करें।
- समुचित परीक्षण पुस्तिका सीरीज के संगत गोले को काला करें।
- समुचित परीक्षण पुस्तिका क्रम संख्या लिखें।
- समुचित उत्तर पत्रक क्रम संख्या लिखें और प्रत्येक अंक के नीचे दिए गए गोले को भी काला करें।
- दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें।

13. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें। यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरणों में शामिल होता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है।

अनुबंध

परीक्षा भवन में वस्तुपरक परीक्षणों के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें। आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का अंकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तांकों को कम कर सकता है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण लिखने होंगे। उम्मीदवार को उत्तर-पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई है। यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को किसी संख्या वाले पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए।

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा।

केन्द्र	विषय	विषय कोड	अनुक्रमांक
Centre	Subject	Subject Code	Roll No.

मान लो यदि आप सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र के वास्ते परीक्षा में दिल्ली केन्द्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला ‘ए’ है तो आपको काले बाल पेन से इस प्रकार भरना चाहिए।*

केन्द्र	विषय	विषय कोड	अनुक्रमांक
Centre	Subject	Subject Code	Roll No.
		9 9	0 8 1 2 7 6

दिल्ली सामान्य ज्ञान (ए)


आप केन्द्र का नाम अंग्रेजी या हिन्दी में काले बॉल पेन से लिखें।

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें हाथ के कोने पर ए बी सी अथवा डी के अनुक्रमांक के अनुसार निर्दिष्ट हैं।

आप काले बॉल पेन से अपना ठीक वही अनुक्रमांक लिखें जो आपके प्रवेश प्रमाण पत्र में है। यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो तो उसे भी लिखना न भूलें।

आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप नोटिस में से समुचित विषय कोड ढूँढ़ें। जब आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करने का कार्य काले बॉल पेन से करें। केन्द्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उसमें से पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात ही करना चाहिए।


‘ए’ परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के सामान्य ज्ञान विषय प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 99 लिखनी है, इसे इस प्रकार लिखें।



बस इतना भर करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे '9' के लिए (पहले उर्ध्वाधर कालम में) और 9 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कालम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें। आप वृत्तों को पूरी तरह उसी प्रकार काला करें जिस तरह आप उत्तर पत्रक में विभिन्न प्रश्नांशों के प्रत्युत्तर अंकित करते समय करेंगे। तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें। इसे उसी के अनुरूप इस प्रकार करेंगे।

अनुक्रमांक
Roll Numbers

0	8	1	2	7	6
---	---	---	---	---	---



महत्वपूर्ण : कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका क्रम तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है।

* यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है।

परिशिष्ट - IV

परम्परागत प्रकार के प्रश्न पत्रों के लिए विशेष अनुदेश

1. उत्तर स्वयं हाथ से लिखे जाएं :

उत्तर स्वयं अपने हाथ से स्याही से लिखें। कच्चे कार्य के लिए पेंसिल का प्रयोग किया जा सकता है।

2. उत्तर पुस्तिका जांचें :

उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक अपने द्वारा प्रयोग की गई प्रत्येक उत्तर पुस्तिका में (अपना नाम नहीं) केवल इस प्रयोग हेतु दिए गए स्थान पर ही लिखें। उत्तर पुस्तिका में लिखने से पहले कृपया यह देख लें कि यह पूर्ण है। यदि इसके कुछ पृष्ठ गायब हों तो इसे बदल लें। उत्तर पुस्तिका से कोई पृष्ठ न फाड़ें। यदि आप एक से अधिक उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करते हैं, तो उत्तर पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर प्रयोग की गई उत्तर पुस्तिकाओं की कुल संख्या निर्दिष्ट करें। उत्तर के बीच में रिक्त, अप्रयुक्त स्थान न छोड़ें। यदि ऐसे स्थान छोड़े जाते हैं तो उन्हें काट दें।

3. विनिर्धारित संख्या से अधिक उत्तरों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा :

उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। यदि विनिर्धारित संख्या से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं तो विनिर्धारित संख्या तक पहले लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन किया जाएगा, शेष उत्तरों को अनदेखा कर दिया जाएगा।

4. संक्षेपण संबंधी प्रश्न-पत्र संक्षेपण पत्रकों पर ही किए जाएं जो कि मांगने पर निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। संक्षेपण पत्रक, प्रयुक्त या अप्रयुक्त, उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर रखें और अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका (पुस्तिकाओं), यदि कोई हो, के साथ बांध दें। जो उम्मीदवार इस अनुदेश का अनुपालन नहीं करते हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा। इन पत्रकों पर अपना अनुक्रमांक न लिखें।

5. अनुचित साधन सर्वथा वर्जित :

दूसरे उम्मीदवार के पत्रकों से नकल न करें, न ही अपने पत्रकों से नकल करने दें। किसी प्रकार की अनियमित सहायता न दें, न ही देने की कोशिश करें, न लें न ही लेने का प्रयास करें। यह प्रत्येक उम्मीदवार का उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी अन्य उम्मीदवार ने उसके उत्तरों की नकल नहीं की है। ऐसा न करने पर अनुचित साधनों को अपनाने के लिए आयोग द्वारा विनिर्धारित दण्ड दिया जाएगा।

6. परीक्षा भवन में आचरण :

किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें या परीक्षा भवन में शांति भंग न करें या परीक्षा के संचालन हेतु लगाए गए स्टाफ को उत्पीड़ित या शारीरिक नुकसान न पहुंचाएं। यदि आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपको कठोर दण्ड दिया जाएगा।

7. परीक्षा भवन में आपको उपलब्ध कराई गई प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका पर मुद्रित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका अनुपालन करें।

परिशिष्ट - V

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट्स) के पद के लिए उम्मीदवार हेतु शारीरिक और चिकित्सा मानदंड

परिशिष्ट - V (क)

1. शारीरिक मानदंड :

उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :-

	पुरुष	महिला
ऊंचाई	165 सें.मी.	157 सें.मी.
सीना (बिना फुलाए)	81 सें.मी. (कम से कम 5 सें.मी. फुलाव के साथ)	(लागू नहीं)
वजन	50 कि.ग्रा.	46 कि.ग्रा.

इसके अलावा वजन परिशिष्ट - V (ख) में दर्शाई गई ऊंचाई और आयु के अनुसार होना चाहिए।

2. चिकित्सा मानदंड :

(क) आंखों की दृष्टि

	सही आंख (सही की गई दृष्टि)	खराब आंख (सही की गई दृष्टि)
दूर दृष्टि	6/6 या 6/9	6/12 6/9
निकट दृष्टि	एन-6 (सही की गई दृष्टि)	एन-9 (सही की गई दृष्टि)
अनुमेय अपवर्तक कमियों की सीमाएं	चश्मे के साथ/लासिक सर्जरी -4.00 डी (सिलेंडर सहित) निकट दृष्टि +4.00 डी (सिलेंडर सहित) दूर दृष्टि	

इशिहारा परीक्षण द्वारा रंगदृष्टि-III

निर्धारित मानदंडों के अध्यधीन लासिक सर्जरी शोधन (करेक्शन) की अनुमति निम्नानुसार है:-

(क)	आयु	- 18-35 वर्ष
(ख)	अक्षीय फैलाव	- 21-26 एमएम
(ग)	कोर्निया का घनत्व	- 425 माइक्रोन
(घ)	लासिक पूर्व दोष	- 6 डी
(ड.)	शल्य चिकित्सा के पश्चात की अवधि	- स्थिर अपवर्तक फ्लैप होना चाहिए
(च)	अंतराल	- 06 माह (शल्य चिकित्सा के पश्चात की अवधि आवश्यक है) (सीएपीएफ में भर्ती के लिए विचार किए जाते समय लासिक सर्जरी के पश्चात उम्मीदवारों को 06 माह की अवधि पूरी करनी होगी।

(ख) कैरिंग ऐंगल : कैरिंग ऐंगल पुरुषों के लिए 15° और महिलाओं के लिए 20° से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ग) कान

- उम्मीदवार में किसी भी प्रकार की बधिरता नहीं होनी चाहिए या स्थायी रूप से कान बहता न हो।
- उम्मीदवार में कोई अन्य दशा (जन्मजात या उपार्जित) जैसे - मियेटस अछिद्रग, अग्रस्थि बाह्य बर्हुदजो कर्णमार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करती हो और वृत्त या प्रत्यावर्ती कर्णशूल, कर्णस्वेत तथा भ्रमि नहीं होनी चाहिए।

(घ) नाक : उम्मीदवार में डीएनएस, शोपीनाशा शोध, यक्ष्मकीय, व्रण, जीर्ण वायुविवर नहीं होनी चाहिए।

(ङ.) ग्रीवा : उम्मीदवार में विस्तृत लसिका पर्व, थायरायड या अन्य ग्रीवा उत्सेध (सूजन) नहीं होना चाहिए जो ग्रीवा को पूर्णरूपेण घुमाने में अक्षम या मेरूदण्ड या ग्रैव केशरूका की बीमारियों का कोई प्रमाण देते हों।

(च) दंत : उम्मीदवार में सुचारू चर्बन के लिए समुचित संख्या में पूरे दंत अवश्य होने चाहिए। उम्मीदवार में गंभीर पायरिया न हो।

(छ) रतिजरोग : उम्मीदवार में रोग लक्षण वीडो के सक्रिय चिन्ह नहीं होने चाहिए।

(ज) चिरकालिक त्वचा रोग : उम्मीदवार में चिरकालिक त्वचा रोग जैसे कुष्ठ, चिरकारी त्वक्शोथ सघन तुषामशल्कन वर्सिकालर, सोरायसिस, एसएलई आदि नहीं होने चाहिए।

3. सामान्य मानदण्ड:

- शब्दों का उच्चारण दोष रहित अर्थात् हकलाहट के बिना होना चाहिए।
- उम्मीदवार में चिरकालिक रोग जैसे क्षय, किसी प्रकार का सन्धि शोध, उच्च रक्त दाब, मधुमेह, श्वासनिक दमा, किसी प्रकार के हृदय रोग के लक्षण नहीं होने चाहिए।
- उम्मीदवार के शरीर में कहीं कोई ग्रन्थिल सूजन दृष्टिगोचर तथा प्रत्यक्ष नहीं होनी चाहिए।
- वक्ष सुगठित होना चाहिए, किसी प्रकार की असामान्यता अर्थात् रिकेटी गुटिका - माला दोष सहित चपटा वक्ष, कपोत वक्ष नहीं होना चाहिए। दिल एवं फेफड़े स्वस्थ होने चाहिए।
- अंग, हस्त तथा पाद सुगठित तथा सुविकसित होने चाहिए तथा सभी संधियों की गति श्रेष्ठ होनी चाहिए।
- अस्थि संबंधी कोई पुराना/कुसंयोजित अस्थिभंग नहीं होना चाहिए।
- सभी संधियों की गति अबाध तथा श्रेष्ठ होनी चाहिए।
- पाद तथा पाद के अंगूठे सुगठित होने चाहिए।
- कोई जन्मजात कुरचना या दोष नहीं होना चाहिए।
- किसी पुराने तीव्र या चिरकालिक रोग के संकेत, जिसके दोष युक्त गठन का पता चले नहीं होना चाहिए।
- उम्मीदवारों को जनन मूत्राशय का कोई रोग न हों।
- उम्मीदवार को वंक्षण, वृषणकोशीय सूजन या किसी प्रकार का हर्निया न हो।
- (केवल पुरुषों के लिए) दोनो वृषण वृषणकोश में हैं तथा सामान्य आकार के हैं।
- उम्मीदवार के संघट्ट जानु, चपटे पाद, अतस्फीत शिराएं नहीं होनी चाहिए।
- उनका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम हो तथा ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त हो जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो।

4. उम्मीदवार हृदक्षिप्रता (नाड़ी दर 100 प्रति मिनट से अधिक) या हृदमंदता (50 प्रति मिनट से कम) से पीड़ित न हो।

5. उम्मीदवार हर्निया, अर्थ, कॉन्डिलोमेटा, मलाशय भ्रंश से पीड़ित न हो।

6. टैटू संबंधी अनुच्छेद :

(क) विषय-वस्तु : धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते अपने देशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और इसलिए धार्मिक चिन्ह अथवा व्यक्तित्वों तथा उनके नाम को दर्शाते टैटू बनाने की अनुमति होगी, जैसा कि भारतीय सेना में किया जाता है।

(ख) स्थान : टैटू बनवाने की अनुमति शरीर के सामान्य हिस्सों पर ही होगी, जैसे केवल बाएं बाजू के अंदरूनी भाग की तरफ, क्योंकि यह सलामी देने वाला हाथ नहीं है, या हाथों के पिछले हिस्से (डोरसम) में।

(ग) आकार : इसका आकार, शरीर के संबंधित भाग(कोहनी अथवा हाथ) के ¼ से कम होना चाहिए।

परिशिष्ट-V (ख)

विभिन्न आयु वर्गों तथा ऊंचाई के लिए पुरुष औसत शारीरिक वजन किलोग्राम में

ऊंचाई सें.मी. में	आयु वर्षों में			
	18-22	23-27	28-32	33-37
156	44-54	46-56	47-58	48-59
158	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5
160	46-56	47.5-58.5	49.5-60.5	50.5-61.5
162	47-58	49-60	50.5-61.5	52-63
164	48-59	50-61	52-63.5	53-65
166	49.5-60.5	51.5-62.5	53-65	54.5-66.5
168	51-62	52.5-64.5	54.5-66.5	56-68
170	52-64	54-66	56-68	57.5-70.5
172	54-66	55.5-67.5	57-70	59-72
174	55-67	57-70	59-72	61-74.5

176	56.5-69	58.5-71.5	60.5-73.5	62-76
178	57.5-70.5	60-73	61.5-75.5	63.5-77.5
180	59-72	61-75	63.5-77.5	65.5-80
182	61-74.5	62.5-76.5	65-79	66.5-81.5
184	63-77	64.5-78.5	66.5-81.5	68.5-83.5
186	63.5-77.5	65.5-80.5	68-83	70-86
188	65-79	67.5-82.5	70-85.5	71.5-87.5
190	66-81	68.5-83.5	70.5-86.5	72.5-88.5

विभिन्न आयुवर्गों तथा ऊंचाई के लिए महिला औसत शारीरिक वजन किलोग्राम में

ऊंचाई सें.मी. में	आयु वर्षों में			
	18-22	23-27	28-32	33-37
148	34.5-42.5	37-45	38.5-47	39.5-48.5
150	36.5-44.5	37.5-45.5	39-48	40.5-49.5
153	38-46	39-48	41-50	42-51
155	38.5-47.5	40-49	41.5-50.5	43-52.5
158	40.5-49.5	42-51	43-53	44.5-54.5
160	41.5-50.5	43-52.5	44-54	45.5-54.5
163	43-52.5	44-54	46-56	47-57
165	44-54	45.5-55.5	47-58	48.5-59.5
168	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5

- इस सारणी में केवल कुछ ऊंचाई (सें.मी.) के संबंध में संगत शारीरिक वजन दिए गए हैं। बीच की ऊंचाई के संबंध में शारीरिक वजन की गणना के लिए "औसत" का सिद्धांत प्रयुक्त किया जा सकता है।
- सारणीबद्ध ऊंचाई से बाहर के औसत वजन की गणना के लिए, ऊंचाई में प्रत्येक एक सें.मी. की वृद्धि या कमी के लिए 0.71 कि.ग्रा. क्रमशः बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
